आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–60 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती चमेली देवी, उपमुखिया, पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, जिला–साहेबगंज टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी और शिकायतकर्ता का भी लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसमें शिकायतकर्ता ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है और वे शिकायत निवारण से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx132	